।।कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त चौमूं जिला जयपुर पश्चिम।।

क्रमांक :- 1793 दिनांक - 31/5/18

पुलिस उपायुक्त महोदय
जिला जयपुर पश्चिम

विषय :- न्यूज कटिंग राजस्थान पत्रिका दिनांक 12.05.2018'' **गन्ने के ठेले वालो से नजराने मे कूलर लेना**''के संबध में।

प्रसंग :- श्रीमान के कार्यालय पत्रांक 571 दिनांक 15.05.2018 एवं ईमेल/दुरभाष दिनांक 30.05.2018 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसगिक पत्र के संबध में निवेदन है कि न्यूज कटिंग राजस्थान पत्रिका दिनांक 12.05.2018'' पुलिस थाना चौमूं द्वारा गन्ने के ठेले छोडने की एवज में कूलर नजरानें मे लेना ''के संबध में जॉच मन एसीपी चौमूं द्वारा श्रीमान के आदेशानुसार की गई।

दौराने जॉच श्री अरविन्द यादव, श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, गन्ने की मशीन वाले श्री सांवरमल सैनी व श्री ओमप्रकाश सैनी, दुकानदार श्री प्रकाश कुमावत, ड्यूटी ऑफिसर श्री राकेश कुमार उप.नि., एच.एम. श्री महेन्द्र सिंह हैड कानि. बैल्ट नम्बर 452, श्री दिनेश कुमार कानिस्टेबल बैल्ट नम्बर 5007, श्री गणेशराम कानिस्टेबल बैल्ट नम्बर 1951,श्री रमेश ताखर कानिस्टेबल बैल्ट नम्बर 9508 के बयान लिये गयें । पुलिस थाना चौमूं पहुॅच कर न्यूज कटिंग के संबध में जानकारी प्राप्त की गयी।

सम्पूर्ण जॉच से सामने आया कि :-

1. दिनांक 05.05.2018 को पुलिस थाना चौमूं पर ड्यूटी ऑफिसर के पद पर श्री राकेश कुमार उप निरीक्षक थाना चौमूं तैनात थे। समय 11.00 एएम के लगभग थाने पर जरिये टेलिफोन सूचना मिली कि रावला चौक सरकारी अस्पताल के सामने गन्ने के मशीन वालो द्वारा मशीन लगाकर यातायात अवरूद कर रखा है। उक्त सूचना पर एसआई राकेश कुमार मय जाप्ता रवाना होकर रावला चौक सरकारी अस्पताल के सामने पहुॅचे व गन्ने के ठेले वालो को उप निरीक्षक व जाप्ते द्वारा समझाईश की गयी कि यहॉ पर आप लोग गन्ने के ठेले लगाते हो तो यातायात अवरूद्व हो जाता है और मरीजो के वाहन व एम्बूलेंस जाम में फस जाती है । आप लोग ठेले लगाकर किसी व्यक्ति को परेशानी में मत डालो। एवं हटने को कहां तो नही माने इस पर ठेले वालो को गन्ने की मशीन सहित थाने पर लेकर गये थे।
2. रॉवला चौक सरकारी अस्पताल के सामने वह स्थान है जहॉ पर बाजार मे खरीददारी करने वाले व्यक्ति एवं अस्पताल मे आने-जाने वाले मरीजो के वाहन व एम्बूलेंस का आवागमन रहता है जिससे वहॉ पर भीड-भाड रहती है। इसलिए पुलिस द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर गन्ने के ठेले वालो को समझाईश की गयी थी कि रॉवला चौंक मे बाजार मे खरीददारी करने वालो के वाहन पार्किग होते है व अस्पताल मे मरीजो के वाहन व एम्बूलेंस का आवागमन रहता है ।
3. गन्ने की मशीन वालो को पुलिस थाना चौमूं पर लाने के बाद भी समझाईश की गयी । कुछ देर बाद अरविंद यादव , रतन सैनी व राजेन्द्र कुमार सैनी थाने पर आये जिन्होने गन्ने के ठेले वालो को छोडने के लिए आग्रह किया तो उक्त लोगो को पुलिस द्वारा गन्ने की मशीन वालो से होने वाली परेशानी के संबध मे अवगत करवाया गया । उक्त लोगो द्वारा यह आश्वासन देने पर कि इन गन्ने की मशीन वालो को हम लोग वहॉ से हटवा देंगे एवं अब यह लोग दुबारा गन्ने की मशीन उक्त स्थान पर नही लगाऐंगे। इसके बाद गन्ने की मशीन वालो कों समझाईश कर हिदायत करने के पश्चात व उनके द्वारा भी पुनः गन्ने की

मशीन नही लगाने का आश्वासन देने के बाद थाने से गन्ने वालो को मशीनो सहित रूकसत कर दिया था।

4. गन्ने के ठेलो को मशीनो सहित थाने से रूकसत करने के पश्चात अरविन्द यादव, राजेन्द्र सैनी व रतन सैनी तीनो व्यक्ति एच.एम. कार्यालय में एच.एम. महेन्द्र सिंह के पास आकर बैठ गये । थोडी देर बाद कहने लगे कि आप लोग इस गर्मी मे काम कैसे करते हो। कूलर या पंखा क्यों नही लगावते हो तो एचएम महेन्द्र द्वारा बजट की कमी का हवाला देकर बात खत्म कर दी तो अरविन्द यादव व राजेन्द्र सैनी वगैरहा ने कहा कि हम हमारी तरफ से स्वैच्छा से एक कूलर कार्यालय में लगवा देते है ।

5. अरविन्द यादव, राजेन्द्र सैनी ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने थाने से आने के बाद गर्मी को देखते हुये , थाने के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक रूप से थाने पर कूलर लगवाने का निर्णय लिया और थाने पर 2700/–रूपये का कूलर दिनांक 05.05.2018 को थाने पर लगवा दिया। थानाधिकारी के ज्ञान मे आने पर कूलर के 2700/–रूपये स्वयं थानाधिकारी द्वारा अरविन्द यादव को बुलाकर वापस दे दिये गये जिन्होने कूलर खरीदकर थाने भिजवाया था। रतन सैनी को जॉच के दौरान व्यक्तिशः एवं जरिये पत्र कई मर्तबा बयान हेतु तलब किया गया जो जानबूझकर उपस्थित नही हुआ है।

निष्कर्षः–

रॉवला चौक , सरकारी अस्पताल के सामने वह स्थान है जहॉ पर बाजार मे खरीददारी करने वाले व्यक्ति व अस्पताल मे आने–जाने वाले मरीजो के वाहन पार्किंग होते है एव एम्बूलेंस का आवागमन रहता है। सरकारी अस्पताल के सामने सरकारी स्कूल भी स्थित है जिससे वहॉ पर भीड–भाड रहती हैं। उक्त स्थान पर गन्ने वाले अपनी मशीने आम रास्ते पर लगाकर रास्ता अवरूद्व कर देते है जिससे आमजन को परेशानी होती है जिसकी शिकायते थाने पर बार–बार आती रहती है इसी वजह से पुलिस द्वारा गन्ने वालो को पूर्व मे भी समझाईश की गयी थी। दिनांक 05.05.2018 को मुताबिक सूचना एसआई राकेश कुमार मय जाप्ते के रॉवला चौंक , सरकारी अस्पताल के सामने पहुँचे थे तो वहॉ पर गन्ने के ठेले वालो को समझाईश की गयी थी । समझाईश करने के उपरान्त भी नही मानने पर गन्ने के ठेले को मशीनो सहित थाने पर लाये थें एवं मौजूज व्यक्ति अरविंद यादव ,राजेन्द्र सैनी व रतन सैनी के आग्रह करने पर, गन्ने वालो को समझाईश कर एवं उनके द्वारा लिखित मे गन्ने की मशीन वहॉ नही लगाये जाने का आश्वासन देने पर हिदायत कर रूकसत किया गया था। गन्ने वालो से कूलर के संबध में कोई बातचीत नही हुयी । इसके पश्चात अरविंद यादव , राजेन्द्र कुमार सैनी वगैरहा ने अपनी स्वैच्छा से एच.एम कार्यालय मे एक कूलर लगवाया गया । जॉच से दिनांक 12.05.2018 को **राजस्थान पत्रिका में" पुलिस थाना चौमूँ द्वारा गन्ने के ठेले छोडने की एवज में कूलर नजरानें मे लेना " खबर प्रकाशित हुयी जो किसी व्यक्ति द्वारा** योजनाबद्व तरीके से दिनांक 11.05.2018 को दुकानदार प्रकाश कुमावत से कूलर का बिल बनवाया गया एवं तथ्यो को तोड मरोड कर पुलिस की छवि को धूमिल करने हेतु यह खबर प्रकाशित करवायी जाना प्रतीत होता है। पुलिस थाना चौमूँ के किसी भी कर्मचारी द्वारा उक्त लोगो से थाने पर कूलर लगवाने की मांग करना सामने नही आया है।

भवदीय

(राजवीर सिंह)
सहायक पुलिस आयुक्त
वृत्त चौमू
जिला जयपुर पश्चिम